

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा जनपद अल्मोड़ा में विनायक रिखाड कोटियाग मोटर मार्ग का निर्माण के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य (गैर वानिकी कार्य) किये जाने हेतु वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक 20-12-12 को वन विभाग वन विभाग, राजस्व विभाग तथा प्रस्ताव विभाग के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया।

1. श्री एल. प्र. इवोला अपर सहायक अभियन्ता

2. श्री लक्ष्मण सिंह पटवारी

3. श्री चतुर सिंह वनदरोगा

पुनरावेष्टि

(1). लो0नि0वि0 द्वारा जनपद अल्मोड़ा विनायक रिखाड कोटियाग मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 7.000 चौड़ाई 9मी. प्रस्तावित की गयी है। जोकि अल्मोड़ा वन प्रभाग की द्वाराहाट रेंज के अन्तर्गत निम्न आरक्षित/ सिविल/ वन पंचायत/ वन भूमि क्षेत्र एवं नाप भूमि में पड़ेगी। विवरण निम्न प्रकार है।

1. आरक्षित वन भूमि -

क्र.सं.	वन ब्लाक व कक्ष संख्या	प्रस्तावित कार्य	आपेक्षित वन भूमि की लम्बाई चौड़ाई (मी.में)		
			लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल हे.
1		मोटर मार्ग	0	0	0
		योग :-		0	0

2. वन पंचायत भूमि -

1	रिखाड	मोटर मार्ग	0.800 किमी.	9 मी.	0.720
---	-------	------------	-------------	-------	-------

3. सिविल भूमि -

1	रिखाड कोटियाग	मोटर मार्ग	2.220 किमी.	9मी.	1.980
---	---------------	------------	-------------	------	-------

4. नाप भूमि -

1	रिखाड	मोटर मार्ग	4.000 किमी.	9मी.	3.600
		कुल योग :-		9मी.	6.300

2. अतएव हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल भूमि का विवरण निम्न है :-

1	आरक्षित वन भूमि	0
2	वन पंचायत भूमि	0.720
3	सिविल भूमि	1.980
	योग :-	2.700

3. इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल आपेक्षित 2.700 है0 वन भूमि तथा नाप भूमि का भी निरीक्षण किया गया एवं इस मोटर मार्ग में 72 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

4. प्रस्तावित समरेखन में वृक्ष सघन रूप में विद्यमान हैं। स्थल का घनत्व से के बीच का है। प्रस्तावित स्थल की तथा जी. पी.एस. शीडिंग निम्न प्रकार है।

Hight 1224 Meter	N 29°43'42.42	E 79°18'18.54
------------------	---------------	---------------

5. आरक्षित वन भूमि 0 है0 सिविल भूमि 1.980 वन पंचायत भूमि 0.720 कुल 2.700 है0 के दुगने क्षेत्रफल 5.400 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए कोटियाग सिविल क्षेत्र चयनित किया गया है जिसकी दूरी प्रस्तावित स्थल से लगभग 22 किमी. है तथा चयनित क्षेत्र का घनत्व..... से..... है।

6. क्षेत्र की ग्रामीणों को यातायात की सुविधा न होने के कारण उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। किन्तु इस सम्बन्ध में आम सभा का प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्बन्धित से लिया जाना आवश्यक होगा। प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु उक्त अपेक्षित भूमि न्यूनतम है एवं प्रस्तावित सड़क निर्माण की समरेखन हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है।
7. चूंकि प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु वन भूमि की मांग की जा रही है फलस्वरूप इस भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होंगे तथा स्थल पर किसी भी गैर वानिकी कार्य (Non Forestry Activities) के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। अतः प्रस्तावक विभाग को निर्धारित फॉरमेट/प्रक्रिया के अनुरूप FCA 1980 के तहत प्रस्तावित निर्माण हेतु अपेक्षित 2.700 है० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

वन क्षेत्राधिकारी

द्वाराहाट

प्रतिनिधि
राजस्व विभाग

कनिष्ठ अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत

प्रतिहस्ताक्षरित

उपजिलाधिकारी
अथवा जिलाधिकारी

वन दरोगा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा
वन प्रभाग अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता 1
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पटवारा
सिंगोली

सहस्रलदार भिकियास
बिवा अल्मोड़ा /

उप जिलाधिकारी,
भिकियास (अल्मोड़ा)

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा